



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(1)दिशा-निर्देश/विधि/पंरा/2023/04

दिनांक : 11.1.23

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, समस्त(राजस्थान)।

**विषय:-राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157-पुराने
गृहों के विनियमितिकरण के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157-पुराने गृहों के विनियमितिकरण में 300 वर्गगज एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड का पट्टा जारी करने के संबंध में है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157-पुराने गृहों के विनियमितिकरण में 300 वर्गगज संनिर्मित क्षेत्रफल से अधिक भूमि जो आवासीय परिसर के साथ, उपयोग में आ रही खाली आबादी भूमि का पट्टा नियम 157(1)(ii), उपयुक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए है।

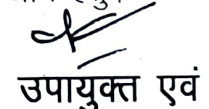
ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत राशि जमा करके भूखण्डधारी के उपयोग में आ रही कब्जा शुदा (सम्पूर्ण) आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है।


उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव(प्रथम)

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- ✓ 4. एसीपी, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


उपायुक्त एवं

उप शासन सचिव(प्रथम)